पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मालती देवी

बनाम

श्याम बिहारी सिंह और अन्य

2018 की प्रथम अपील सं. 18

10 दिसंबर, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपील और अंतर्निहित विभाजन वाद, बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 की धारा 4(सी) के अंतर्गत समाप्त किए जाने योग्य है, क्योंकि उस क्षेत्र में जहां वाद की भूमि स्थित है, चकबंदी कार्यवाही लंबित है।

हेडनोट्स

बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 – धारा 4(सी) – चकबंदी अधिसूचना जारी – सम्पूर्ण सिविल कार्यवाही समाप्त –

माना गया कि मुकदमा दायर की गई संपत्ति कैमूर जिले के मौजा ऐले और मौजा पटेसर में स्थित है , जहां चकबंदी कार्य चल रहा था। धारा 26ए के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। धारा 4(सी) के आदेश के अनुसार, मुकदमा और अपील सहित पूरी सिविल कार्यवाही शुरू से ही समाप्त हो गई है।

[पैरा 2, 5, 7]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – धारा 151 – चकबंदी अधिनियम के साथ पढ़ें – चकबंदी के दौरान सिविल कार्यवाही का उपशमन – कानून का उचित अनुप्रयोग –

बिहार चकबंदी अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, भूमि में अधिकारों से संबंधित कोई भी सिविल कार्यवाही जिसमें मुकदमा, अपील या पुनरीक्षण शामिल है, पर विचार नहीं किया जा सकता है और सभी लंबित मामले समाप्त हो जाते हैं। इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही शामिल है, जब तक कि विशिष्ट अपवादों के अंतर्गत न हो।

[पैरा 2, 5]

भारतीय संविधान – अनुच्छेद 136 – सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण – अधिसूचना के बाद सम्पूर्ण सिविल कार्यवाही समाप्त हो जाती है –

पारस नाथ राय बनाम बिहार राज्य , (2012) 12 एससीसी 642 का हवाला देते हुए न्यायालय ने पुष्टि की कि चकबंदी के अंतर्गत आने वाली भूमि से संबंधित मुकदमों या अपीलों में पारित निर्णय और डिक्री सहित सभी कार्यवाही धारा 3(1) के तहत अधिसूचना जारी होने पर समाप्त हो जाती है। कार्यवाही समाप्त हो जाती है।

[पैरा 3, 5]

न्यायिक मिसाल – पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ – अधिसूचना से पहले की अंतिम डिक्री सुरक्षित – अन्य निरस्त –

प्रभावती कुमारी बनाम बिहार राज्य , (2019) 4 पीएलजेआर 430 में , पूर्ण पीठ ने माना कि केवल वे डिक्री ही बची रहेंगी जो अधिसूचना से पहले अंतिम रूप ले चुकी हैं। जहां समेकन चल रहा है, अधिसूचना से पहले अंतिम रूप से तय नहीं किए गए मुकदमे और अपील को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

[पैरा 6]

राहत – अपील और मुकदमा निरस्त – अंतरिम आवेदन स्वीकृत –

लंबित समेकन कार्यवाही और अधिसूचना रद्द न होने के मद्देनजर, अपील और संपूर्ण मूल वाद निरस्त माना जाता है। तदनुसार अंतरिम आवेदन संख्या 01/2024 को स्वीकार किया जाता है।

[पैरा 7]

न्याय दृष्टान्त

पारस नाथ राय बनाम बिहार राज्य , (2012) 12 एससीसी 642 – लागू ;**प्रभावती कुमारी बनाम बिहार राज्य** , (2019) 4 पीएलजेआर 430 (एफबी) - अनुसरण किया गया; **सत्यनारायण प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य** , (2002) 1 पीएलजेआर 34 - चर्चा की गई**; एमएसटी . बीबी रहमानी खातून बनाम बिहार राज्य ,** (2007) 3 पीएलजेआर 348 **-** पर निर्भर

अधिनियमों की सूची

बिहार चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम, 1956; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य शब्दों की सूची

धारा 4(सी); वाद एवं अपील का उपशमन; चकबंदी क्षेत्र; अधिसूचना रद्द करना; मौजा ऐलाये ; मौजा पटेसर ; आरटीआई पुष्टि; सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त; सिविल डिक्री निरस्त

प्रकरण से उत्पन्न

भभुआ द्वारा टाइटल सूट संख्या 484/2013 में पारित निर्णय और डिक्री , जिसमें कैमूर जिले के मौजा अइलाय और मौजा पटेसर में स्थित भूमि का विभाजन प्रदान किया गया

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए: श्री शशि शेखर द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री पार्थ गौरव, अधिवक्ता; श्री आशुतोष कुमार पांडे, अधिवक्ता; श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता; श्री मनोज्ञा सिंह, अधिवक्ता; श्रीमती शिल्पा, अधिवक्ता; श्री गोविंद राज शाही

उत्तरदाताओं के लिए: कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई

हेड्नोटस रिपोर्टर द्वारा बनाया गयाः आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का प्रथम अपील सं. 18

==========

मालती देवी, पति-योगेंद्र नारायण उर्फ मटरु सिंह, निवासी-मौजा अइलायी पटना, थाना-चंद, जिला-कैमूर, भभुआ।

अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. श्याम बिहारी सिंह
2. विजय बहादुर सिंह, स्वर्गीय जगनारायण सिंह के दोनों पुत्र, निवासी-मौजा अइलायी पटना, थाना-चंद, जिला-कैमूर, भभुआ।
3. मोसमात गायत्री कुएर, पिता-स्वर्गीय पारस नाथ सिंह, निवासी-मौजा सिकरी, थाना-बाबुरी, जिला-चंदौली, यू.पी.।
4. पिंटू सिंह
5. धीरू सिंह
6. बबलू सिंह ,स्वर्गीय पारस नाथ सिंह के सभी पुत्र, निवासी-मौज़ा सिकरी, थाना-बाबुरी, जिला चंदौली, यू. पी.।
7. मीरू देवी, पिता-स्वर्गीय पारस नाथ सिंह, निवासी-मौज़ा सीकरी, थाना-बाबुरी, जिला-चंदौली, यू.पी.।

..... उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिएः श्री शशि शेखर द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री पार्थ गौरव, विद्वान अधिवक्ता।
श्री आशुतोष कुमार पांडे, विद्वानअधिवक्ता
श्री राहुल कुमार, विद्वान अधिवक्ता

श्री मनोग्य सिंह, विद्वान अधिवक्ता
श्रीमती शिल्पा, विद्वान अधिवक्ता
श्री गोविंद राज शाही विद्वान अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : कोई नहीं।

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

11 10-12-2024 **2024 का आई. ए. सं. 1**

यह तात्कालिक अंतरिम आवेदन बिहार चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 (संक्षेप में बिहार चकबंदी अधिनियम) की धारा 4(सी) के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि इस तात्कालिक अपील के साथ-साथ मुकदमे की पूरी कार्यवाही को इसके प्रारंभ से ही समाप्त करने का आदेश पारित किया जाए।

2. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशि शेखर द्विवेदी ने प्रस्तुत किया कि वादी/प्रतिवादीगण ने अपीलकर्ता के विरुद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश-I, भभुआ के न्यायालय में शीर्षक वाद संख्या 484/2013 दायर किया था, जिसमें वाद की अनुसूची-का में उल्लिखित वाद संपत्ति के संबंध में विभाजन की राहत प्रदान करते हुए निर्णय और डिक्री पारित की गई थी। अनुसूची-का के अनुसार, वाद की संपत्ति कैमूर जिले के भभुआ में मौजा-ऐलाये में स्थित है और उसी जिले के मौजा-पटेसर में भी स्थित है और वाद की भूमि कृषि प्रकृति की है और इस संबंध में, इस याचिका के साथ संलग्नक-पी/1 के रूप में दायर वाद की प्रति का अवलोकन किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विभाजन के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, मौजा-ऐलाये और पटेसर में चकबंदी कार्य चल रहा था, जहां मुकदमे की भूमि स्थित है और इससे

पहले उक्त तथ्य वर्तमान अपीलकर्ता, जो मुकदमे में प्रतिवादी था, के संज्ञान में नहीं आया था। अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी को उक्त दोनों मौजा में चकबंदी कार्यवाही लंबित होने की जानकारी मिली और तत्पश्चात चकबंदी कार्यवाही लंबित होने के तथ्य की पुष्टि के लिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम (संक्षेप में 'आरटीआई') के तहत संबंधित प्राधिकार के समक्ष आवेदन दायर किया, जिस पर अपीलार्थी को सूचित किया गया कि बिहार चकबंदी अधिनियम की धारा 26-ए के तहत अभी तक कोई अधिसूचना रद्द नहीं की गई है और तदनुसार ऐलाये और पटेसर मौजा में चकबंदी कार्यवाही अभी भी चल रही है और लंबित है, इसलिए बिहार चकबंदी अधिनियम की धारा 4(सी) के प्रावधानों के मद्देनजर, अपील और वाद से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही वाद और अपील के प्रारंभ होने की तिथि से ही समाप्त किए जाने योग्य है।

3. उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने **पारस नाथ राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2012) 12 एससीसी 642** के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है और प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या '32' जिस पर भरोसा किया गया है, उसे तत्काल संदर्भ के लिए निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> *"इस स्तर पर यह स्पष्ट करना उचित है कि **जगदीश प्रसाद** (सुप्रा) और **राजा महतो एवं अन्य** (सुप्रा) में पटना उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय को बिल्कुल गलत पढ़ा था। इस न्यायालय ने माना है कि संपूर्ण दीवानी कार्यवाही अपने प्रारंभ से ही समाप्त हो जाती है और यह शून्य हो जाती है। **सत्यनारायण प्रसाद साह** (सुप्रा) में इस न्यायालय ने डिक्री को निरस्त करने के उच्च न्यायालय के निर्णय में त्रुटि पाई थी। **श्रीमती बीबी रहमानी खातून** (सुप्रा) के मामले में यह स्पष्ट किया गया था कि जब चकबंदी की योजना शुरू की जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस न्यायालय ने **सत्यनारायण प्रसाद साह** (सुप्रा) में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया था और सिद्धांत और मिसाल दोनों में कहा था कि यह स्पष्ट है कि जहां सिविल कार्यवाही में विवाद में शामिल भूमि को चकबंदी की योजना के तहत लाने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है, तो सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही या तो ट्रायल कोर्ट में होती है, अधिसूचना जारी होने के*

परिणामस्वरूप अपील या पुनरीक्षण समाप्त हो जाएगा और समाप्ति का प्रभाव यह होगा कि पूरी सिविल कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। विस्तार से बताने से न केवल निर्णय और डिक्री समाप्त हो जाएगी बल्कि पूरी सिविल कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

4. प्रतिवादियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और इस संबंध में कई अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादियों की ओर से तत्काल अंतरिम आवेदन पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा सुसंगत सामग्री का अवलोकन किया गया। बिहार चकबंदी अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अनुसार, जिस क्षेत्र में चकबंदी की कार्यवाही चल रही है, उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकार या हित की घोषणा के संबंध में प्रत्येक वाद एवं कार्यवाही तथा इस संबंध में बिहार चकबंदी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई है, तो ऐसे क्षेत्र में भूमि के संबंध में कोई वाद या कानूनी कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नहीं ली जाएगी। यदि ऐसा वाद या कार्यवाही चकबंदी कार्यवाही के दौरान किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, चाहे वह प्रथम दृष्टया हो या अपील या पुनरीक्षण की, तो उस न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा, जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही लंबित है, उस संबंध में पारित आदेश पर उपशमित हो जाएगी तथा उपशमित होने का प्रभाव यह होगा कि समग्र रूप से सिविल कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। उक्त मुद्दे की जांच करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पारस नाथ राय** (सुप्रा) के मामले में यह पाया कि धारा 3(1) के तहत अधिसूचना जारी होने के परिणामस्वरूप, सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही चाहे ट्रायल कोर्ट, अपील या पुनरीक्षण के स्तर पर हो, समाप्त हो जाएगी और समाप्त होने का प्रभाव यह होगा कि लंबित सिविल कार्यवाही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, न केवल निर्णय और डिक्री विलुप्त हो जाएंगी बल्कि ऐसी पूरी सिविल कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांत का अनुपालन इस न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा **प्रभावती कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के मामले में

(2019) 4 पीएलजेआर 430 में किया गया। यद्यपि, बिहार चकबंदी अधिनियम की धारा 4(सी) के प्रावधानों में अपवाद प्रतिपादित किया गया था और उसके अनुसार, यदि बिहार चकबंदी अधिनियम की धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि को किसी वाद या कार्यवाही में पारित डिक्री अंतिम हो गई हो, तो ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित डिक्री चकबंदी कार्यवाही में पक्षकारों के बीच बाध्यकारी होगी।

7. वर्तमान मामले में अपीलकर्ता द्वारा शपथ पत्र पर दिए गए कथन के अनुसार, वाद के लंबित रहने के दौरान, जहां वाद की भूमि स्थित है, वहां चकबंदी की कार्यवाही चल रही थी तथा उक्त चकबंदी कार्यवाही अभी भी चल रही है तथा इस संबंध में अपीलकर्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम (अनुलग्नक-2) के तहत उपलब्ध कराई गई सूचना सुसंगत एवं सहायक है तथा उससे यह पता चलता है कि वाद की भूमि के क्षेत्रों में चल रही चकबंदी कार्यवाही को विमुक्त नहीं किया गया है, अतः बिहार चकबंदी अधिनियम की धारा 4(सी) के प्रावधानों के मद्देनजर वर्तमान अपील के साथ-साथ वाद, जिसमें आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित की गई थी, से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही, उसके प्रारंभ से ही समाप्त मानी जाएगी। तदनुसार, तत्काल अंतरिम आवेदन स्वीकार किया जाता है।

सिद्धार्थ सोनी/- **(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)**

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।